राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2024 जयपुर, दिनांक :

डा. अनुपमा,
चिकित्सा अधिकारी (दन्त),
जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।

विषयः– **मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4711/2022 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2022 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2022 के क्रम संख्या 22 के द्वारा आपका राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली, टोंक में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेशों के विरूद्ध डा. अनुपमा ने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4711/2022 दायर की। उक्त अपील में मा. अधिकरण ने दिनांक 02.11.2022 को आदेश पारित कर आपको 2 सप्ताह में विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर 2 सप्ताह में अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने एवं निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही मा. अधिकरण ने निर्देश प्रदान किये कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी द्वारा निश्चित अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा।

मा. अधिकरण के उक्त आदेशों की पालना में आपके द्वारा आपने निदेशालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सीएचसी देवली, टोंक में चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का एक ही पद स्वीकृत है, जिस पर पूर्व से ही चिकित्सक कार्यरत है। यहां चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का पद रिक्त नहीं होने के कारण आपने जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में यथावत रखने का निवेदन किया है।

विभागीय रिकार्ड के अनुसार सीएचसी देवली, टोंक में चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के दो पद स्वीकृत है, जिनमें से एक पद अभी भी रिक्त है। आपके अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए आपका अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

भवदीया,

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3– निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
4– अधीक्षक, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
5– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर/अजमेर
6– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
7– रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
6606958

Signature valid
Digitally signed by N a Meena
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.04. 6:22:11 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः संस्था / चि0अ0 / एटी / प.02 / 2024 / 179 दिनांक : 24 / 04 / 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राज.।
3. उपविधि परामर्शी मुख्यालय को मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4711 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 02.11.22 की पालना में।
4. अधीक्षक, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, राज.।
5. डा. अनुपमा, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) द्वारा अधीक्षक, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, राज.।
6. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
8. निजि / आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर